न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 49 / 2010
प्रविष्टि दिनांकः– 01.11.2010

नाथूलाल पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार निवासी बावडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

.....रिवीजनकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बावडी पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक
2. कुसुमलता बेवा तिलोकचन्द जाति जैन निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक
3. रजनी पुत्री तिलोकचन्द पत्नि अनिल जैन निवासी अलवर हाल निवासी टोडारायसिंह
4. उर्मिला पुत्री तिलोकचन्द जाति जैन निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक
5. सुनीता पुत्री तिलोकचन्द जाति जैन निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक
6. मनोज पुत्र तिलोकचन्द जाति जैन निवासी निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक
7. भानु पुत्र तिलोकचन्द जाति जैन निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक

.....नान रिवीजनकर्तागण

रिवीजन विरुद्ध निर्णय दिनांक 27–9–1986 ग्राम पंचायत बावडी पंचायत समिति टोडारायसिंह बाबत पुष्टि निलामी कार्यवाही भूखण्ड संख्या 4 दिनांक 24–12–1983 ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

उपस्थितः (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक रिवीजनकर्ता
(2) श्री चन्दनमल नरेन्द्र जैन अभिभाषक नॉन रिवीजनर सं. 2 व 7 उप.।

निर्णय

दिनांक 09.10.2023

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि नॉन रिवीजनकर्ता नं. 1 ग्राम पंचायत बावडी द्वारा भूमि खसरा नं. 907 वाके ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह की भूमि भूखण्ड नीलाम किये जाने की कार्यवाही दिनांक 24–12–1983 को दिखाई जाकर भूखण्ड की नीलामी कार्यवाही पुष्टि दिनांक 27–9–1986 ई. को करते हुए पत्रावली पंचायत समिति टोडारायसिंह को भिजवाई गई जिस पर निर्धारित शर्तो का उल्लेख करते हुए दिनांक 4–2–1987 को उक्त निलामी कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया। नॉन रिवीजनकर्ता नं 1 द्वारा निलामी के बाबत् की गई संपूर्ण कार्यवाही गलत, गैर कानूनी बताते हुए यह रिवीजन पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर नॉन रिवीजनकर्ता को जरिये सम्मन तलब किया गया। नॉन रिविजनर सं. 2 व 7 की ओर से श्री चन्दनमल द्वारा वकालतनामा पेश किया किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बावडी के विरूद्ध दिनांक 10.11.2010 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा शेष नॉन रिविजनकर्ता सं. 3 ता 6 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाने पर भी वे उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध भी दिनांक 28.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अभिभाषक रिविजनकर्ता की बहस सुनी गई।

अभिभाषक रिविजनकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रिवीजनकर्ता ग्राम बावडी का नागरिक है। नॉन रिवीजनकर्ता नं 1 द्वारा निलामी के बाबत् की गई कार्यवाही से रिवीजनकर्ता के अधिकार प्रभावित हुए है। नॉन रिवीजनकर्ता नं. 1 ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 907 वाके ग्राम बावडी में भूखण्ड नं0 3 व 4 को निलाम करने की कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर की है उक्त चरागाह भूमि में किसी प्रकार का भूखण्ड बनाकर निलाम करने अथवा अन्य प्रकार से विक्रय करने का अधिकार ग्राम पंचायत बावडी को नही है । इस कारण नॉन रिवीजनकर्ता सं. 1 द्वारा निलामी के बाबत दिनांक 24–12–1983 को की गई सारी कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। नान रिवीजनकर्ता नं० 1 ने दिनांक 24–12–1983 को निलामी बोली लगाकर अंतिम बोली मानकर निर्णय पारित कर दिया गया जो कतई गलत है। कानूनी प्रावधानो के अनुसार निलामी बोली लगातार तीन दिन तक चालू रहती है उसके बाद अंतिम बोली स्वीकृत की जाती है। नॉन रिवीजनकर्ता 1 द्वारा निलामी कार्यवाही दिनांक 24–12–1983 को अंतिम रूप से स्वीकृत कर दी उसके बाद उसकी पुष्टि की कार्यवाही दिनांक 27–9–1986 को करीब तीन साल की देरी के बाद की गई है।

नॉन रिवीजनकर्ता द्वारा भूखण्ड निलामी के बाबत दिनांक 24–12–1983 को की गई कार्यवाही के भूखण्ड नं0 4 की पत्रावली को पंचायत समिति टोडारायसिंह भिजवायी गयी जिस पर प्रशासन स्थाई समिति ने दिनांक 4–2–1987 को यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि पट्टा जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि नीलाम की गई भूमि आबादी भूमि है। उसके बाद भी नॉन रिवीजनकर्ता नं. 1 ने बिना यह जानकारी किये कि विक्रय की गई भूमि आबादी भूमि नही है और भूखण्ड नं0 4 का पट्टा निलामी बोली के अंतिम व्यक्ति मृतक तिलोकचन्द के हक में जारी कर दिया जो कतई गलत है। निलामी बोली के अंतिम व्यक्ति मृतक तिलोकचन्द की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी, पुत्र व पुत्रियों को वारिसान मानकर पक्षकार बनाया गया है व इसके अतिरिक्त तिलोकचन्द के अन्य कोई वारिसान नहीं है। नॉन रिवीजनकर्ता नं० 1 द्वारा दिनांक 24–12–1983 को भूखण्ड संख्या 4 के साथ भूखण्ड संख्या 3 को निलाम करने की कार्यवाही भी की गई थी उक्त भूखण्ड के बाबत सिविल न्यायाधीश टोडरायसिंह के अदालत में एक प्रकरण गोपाललाल बनाम जवाहर के नाम से प्रकरण संख्या 30/98 चला था जिस में दिनांक 8–7–2009 को सिविल न्यायाधीश टोडारायसिंह में ने यह माना कि भूखण्ड नं 907 चरागाह भूमि में है। उक्त चरागाह भूमि में भूखण्ड निलाम करने का

जिला कलेक्टर
दौसा

और अन्य किसी को किसी भी रूप में खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त निर्णय अंतिम है। इस निर्णय के विरुद्ध किसी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार की अपील नही की गई निर्णय प्रभावी है। तिलोकचन्द व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान का भूखण्ड सं. 4 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पूर्व में चरागाह भूमि के खसरा नं. 907 थे उसके बाद सेटलमेंट कार्यवाही हो जाने के कारण चरागाह भूमि के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर वर्तमान में खसरा नम्बर 3527 रकबा 0.83 हैक्टर वाके ग्राम बावडी दर्ज है।

अभिभाषक रिविजनकर्ता ने यह भी कथन किया कि नॉन रिविजनकर्ता नं. 1 द्वारा नॉनरिवीजन कर्ता नं. 2 ता 7 के पूर्वज मृतक तिलोकचन्द के हक में चरागाह भूमि के नीलाम किये जाने और उसके पक्ष में भूखण्ड दिये जाने की कार्यवाही किये जाने बाबत सारी कार्यवाही रिवजीनकर्ता को गांव में दिनांक 25–10–2010 को हुई उसके बाद नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल प्राप्त हुई एवं प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि रिवीजन स्वीकार फरमायी जाकर नान रिवीजनकर्ता के द्वारा भूखण्ड संख्या 4 वाके ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह की निलामी बोली कर दिनांक 27–09–1986 को निलामी की पुष्टि किये जाने के आदेश एवं मृतक तिलोकचन्द के नाम जारी किये गए पट्टे को निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक द्वारा तथ्यों के समर्थन में नकल निर्णय 27/986, नकल सूची ग्राम पंचायत एवं नक्शा, पट्टा प्रमाणित प्रति, नकल जमा बन्दी सं. 2036 से 2038 व 2063 से 2066 तक, मिलान क्षेत्रफल, नकल निर्णय प्रति 27.09.1986 एवं सूची, नकल डिक्री 08.07.2009 एवं नकल निर्णय 08.07.2009 पेश की है।

न्यायहित में न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बावडी को सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड पत्र कमांक 127 दिनांक 13.02.2023 जारी कर प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी पालना में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बावडी ने पत्र कमांक 63 दिनांक 03.08.2023 से जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि विवादित पट्टा तिलोकचन्द के नाम जारी किया गया है। साबिक खसरा नं. 907 में जारी होना अंकित है जो चरागाह भूमि है तथा उक्त साबिक खसरा नं. 907 से वर्तमान ख. नं. 3527 बनना बताया गया जो कि वर्तमान में भी चरागाह भूमि है। इस प्रकार पट्टे की जगह पंचायत की भूमि नहीं है। विवादित पट्टे में दर्शित जगह पर अलाटी का कब्जा नहीं है। अलाटी की मृत्यु हो चुकी हैं तथा इसके वारिसान ग्राम बावडी में नहीं रहते हैं।

हमने अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत बावडी की पट्टा सं. 4 की पत्रावली व ग्राम विकास अधिकारी के जवाब का आद्योपान्त अध्ययन किया। सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 08.07.2009 में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि चरागाह भूमि मानकर ही निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में नायब तहसीलदार उपतहसील बरवास से विवादित भूमि की किस्म व उसमें जारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पट्टे की मौका स्थिति रिपोर्ट मय रिकॉर्ड तलब की गई। पटवारी हल्का बावडी की मौका रिपोर्ट में अंकित हैं कि आराजी खसरा नं. 3527 रकबा 0.83 है. किस्म चरागाह दर्ज रिकॉर्ड हैं एवं मौके पर उक्त खसरा नं. पर कच्चे पक्के मकान बने हुए है, विवादित स्थल पर कच्ची मिट्टी की दीवार बनी हुई है। अतः उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 907 हाल खसरा नं. 3527 रकबा 0.83 हैक्टर में जारी भूखण्ड सं. 4 का पट्टा चरागाह भूमि में होना सिद्ध होता है।

फलतः निगरानी स्वीकार की जाकर कर ग्राम पंचायत बावडी, पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 27.09.1986 को राजकीय चरागाह भूमि खसरा नं. 907 वाके ग्राम बावडी में नीलामी द्वारा जारी किया गया भूखण्ड सं. 4 का पट्टा व अध्यक्ष, प्रशासन स्थाई समिति, पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 04.02.1987 को की गई पुष्टि की कार्यवाही निरस्त की जाती है।

निर्णय आज 09.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति0 जिला कलेक्टर,टोंक